

एन.पी.ओ.पी. विनियमन अंतर्गत जैविक प्रमाणीकरण मार्गदर्शिका

- जैविक प्रमाणीकरण बावत सामान्य आवश्यकताएँ (Requirements)
- जैविक प्रमाणीकरण बावत आवेदन की माँग (Requisition)
- जैविक प्रमाणीकरण बावत आवेदन (Application)
- आवेदन पत्र की जाँच/समीक्षा (Review)
- ऑन-लाइन नियमिति का निर्धारण (Scheduling)
- नियमिति के दौरान सत्यापन (Verification)
- नियमिति रिपोर्ट की समीक्षा (Review)
- निर्णय (Decision)
- प्रमाणीकरण प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना (Granting)
- प्रमाण-पत्र का न दिया जाना (Denial)
- प्रमाणीकरण की निरंतरता (Continuation)
- अपील (Appeal)
- समूह प्रमाणीकरण मानक (Standards)

મ.પ્ર.રાજ્ય જૈવિક પ્રમાણીકરણ સંસ્થા, ભોપાલ

1. જૈવિક પ્રમાણીકરણ બાવત સામાન્ય આવશ્કતાએ (Requirements)-

જૈવિક પ્રમાણીકરણ :

જૈવિક પ્રમાણીકરણ એક સત્યાપન વિધિ હૈ જો યહ સુનિશ્ચિત કરતી હૈ કે ઉત્પાદ, જિન્હે 'જૈવિક' કહા જા રહ્યા હૈ, ઉનકે ઉત્પાદન મેં જૈવિક ઉત્પાદન બાવત નિર્ધારિત નિશ્ચિત માપદણોં કા પાલન સુનિશ્ચિત કિયા ગયા હૈનું। ઇસ પ્રકાર સે, જૈવિક પ્રમાણીકરણ પ્રણાલી મેં ઉત્પાદન વિધિ (Process) કો પ્રમાણિત (Certify) કિયા જાતા હૈ।

સામાન્ય આવશ્યકતાએ :

- i- જૈવિક પ્રમાણીકરણ બાવત સંસ્થા મેં પંજીકૃત ઑપરેટર કો જૈવિક ઉત્પાદન કે રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ (NPOP) કે અંતર્ગત જૈવિક ઉત્પાદન હેતુ રાષ્ટ્રીય માનકોં (NSOP)/ સંસ્થા કે આંતરિક માનકોં/દિશા નિર્દેશોં કા પાલન સુનિશ્ચિત કરના હોતા હૈ।
- ii- પ્રચાલક (ઑપરેટર) કો અપને જૈવિક કાર્યક્રમ કા વાર્ષિક પ્રબંધન પ્લાન નિર્ધારિત પ્રપત્ર મેં બનાતે હુએ સંસ્થા મેં આવેદન પત્ર કે સાથ મેં પ્રથમ વર્ષ મેં, એવં નિરંતરતા બાવત નિર્ધારિત પ્રપત્ર મેં દૂસરે એવં તીસરે વર્ષ મેં જમા કરને કે સાથ ઉસ પર ક્રિયાલ્યન/પાલન સુનિશ્ચિત કરના હોતા હૈ।
- iii- પ્રચાલક (ઑપરેટર) કો સંસ્થા કે જૈવિક નિરીક્ષક કો રૂપાંતરણ અવધિ (Conversion Period) મેં અપને ક્ષેત્ર કા NPOP વિનિયમન પ્રાવધાનોં અનુરૂપ વિસ્તૃત નિરીક્ષણ (વર્ષ મેં કમ સે કમ એક બાર) કરને દેના હોતા હૈ। યહ નિરીક્ષણ જૈવિક એવં અજૈવિક ક્ષેત્ર (યદિ હૈ તો) પ્રસંસ્કરણ ઇકાઈ મેં લિએ જા રહે ઉત્પાદન સે સંબંધિત સમસ્ત કિયા કલાપોં, ક્ષેત્ર, સંચનાઓં, દસ્તાવેજ, કાર્યાલય જો સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ બાવત આવશ્યક હોય, સે સંબંધિત હોતા હૈ। ઉક્ત સમસ્ત નિરીક્ષણ સંસ્થા એવં 'એપીડા' કે પદાર્થિકાર્યિઓં દ્વારા ભી આવશ્યકતાનુસાર કિયે જા સકેંનો।
- iv- ઑપરેટર કો જૈવિક પ્રમાણીકરણ કાર્યક્રમ સે સંબંધિત સમસ્ત અભિલેખ કમ સે કમ પાઁચ વર્ષો તક સંધારિત કરને કે સાથ હી યહ ભી સુનિશ્ચિત કરના હોતા હૈ કે વહ ઇસ અવધિ મેં સંસ્થા/એપીડા કે પદાર્થિકાર્યિઓં કો ઉક્ત અભિલેખોં કો દેખાને, ફોટોકોપી કરને દેણ તાકિ યહ આકલન કિયા જા સકે કે વહ રાષ્ટ્રીય માનકોં/સંસ્થા કે આંતરિક માનકોં કા કિસ હદ તક પાલન સુનિશ્ચિત કર રહ્યા હૈ।
- v- ઑપરેટર કો સંસ્થા દ્વારા નિર્ધારિત શુલ્ક કે માપદણોં અનુરૂપ શુલ્ક નિયમાનુસાર સંસ્થા મેં જમા કરના સુનિશ્ચિત કરના હોતા હૈ।
- vi- ઑપરેટર સંસ્થા કો નિર્ણાંકિત અનુસાર કિસી ભી પ્રકરણ બાવત અવગત કરાયેગા :

 - અ) ઑપરેટર સે નિષિદ્ધ (Prohibited) આદાનોં/સામગ્રી કા પ્રયોગ જૈવિક ઉત્પાદન ક્ષેત્ર કે કિસી ભી હિસ્સે, જાનવરોં આદિ મેં હો જાને કી દિથતિ મેં।
 - બ) જૈવિક પ્રમાણિત એવં/યા જૈવિક પ્રમાણીકરણ બાવત લિયે જા રહે ક્ષેત્ર/પ્રસંસ્કરણ ઇકાઈ કે કિસી ભી હિસ્સે મેં કિસી તરફ કા એસા બદલાવ કિયે જાને કી દિથતિ મેં જિસસે માનકોં કે અનુરૂપ જૈવિક અખણ્ડતા પ્રભાવિત હોને કી સંભાવના હોતી હો।

- vii- ફસલ ઉત્પાદન સે સંબંધિત પ્રચાલક (ઑપરેટર) કો સામાન્ય તૌર પર તીન વર્ષ કી રૂપાંતરણ અવધિ (Conversion Period) સે પેરેનિયલ ફસલોં (ફલોઉદ્યાન આદિ) કે પ્રકરણ મેં એવં દો વર્ષ કી અવધિ સે વાર્ષિક ફસલોં (રબી એવં ખરીફ) કે પ્રકરણ મેં ગુજરના હોતા હૈ।
- viii- આદાન અનુમોદન (Input Approval), પ્રસંસ્કરણ ઇકાઈ (Processing Unit) એવં જંગલી ઉત્પાદ (Wild Harvest) કે પ્રકરણો મેં ઉક્ત રૂપાંતરણ અવધિ કી આવશ્યકતા નહીં હોતી હૈ।

2. જૈવિક પ્રમાણીકરણ બાવત આવેદન માંગ (Requisition)-

- i- જૈવિક પ્રમાણીકરણ બાવત ઇચ્છુક ઑપરેટર સંસ્થા સે ટેલીફોન/મોબાઇલ ફોન/ઈ-મેલ/વ્યક્તિગત અથવા ડાક દ્વારા સંસ્થા સે સંપર્ક કરતા હૈ, એવં નિર્ધારિત એક્સ્ટ્રીજીશન ફોર્મ, જો ઉસે સંસ્થા સે પ્રાપ્ત હોતા હૈ, મેં સામાન્ય જાનકારી જેસે જૈવિક ક્ષેત્ર કી જાનકારી, લી જાને વાલી ફસલોં, પૂરા પતા, ક્ષેત્ર કી ભોપાલ મુખ્યાલય સે દૂસી આદિ કા વિવરણ ભરકર સંસ્થા મેં રૂ. 100/- (રૂ. એક સૌ માત્ર) શુલ્ક જો આવેદન પૈકેટ (Info-Pack) બાવત નિર્ધારિત હૈ, કે સાથ જમા કરના હોતા હૈનું। (યહ શુલ્ક સમય-સમય પર બદલ સકતા હૈ)
- ii- નિર્ધારિત શુલ્ક સહિત ઉક્ત ભરા હુએ આવેદન (Requisition Form) પ્રાપ્ત હોને પર સંસ્થા દ્વારા ઑપરેટર કો એક આવેદન પૈકેટ, જિસમે નિર્ણય જાનકારી હોતી હૈ, ભેજા જાતા હૈનું :

म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल



- संस्था के बाए में संक्षिप्त जानकारी दर्शाता बोग्हर।
- आवेदन प्रपत्र (जैविक प्रबंधन/सिस्टम प्लान के प्रपत्र सहित)
- जैविक प्रमाणीकरण बावत निर्धारित शुल्क का कोटेशन जो इक्यूजीशन फार्म में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जायेगा।
- निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण बावत अनुबंध/सहमति पत्र जो संस्था द्वारा निर्धारित प्रमाणीकरण शुल्क के मापदण्डों की, ऑपरेटर द्वारा एन.पी.ओ.पी. विनियमन/मानकों का उल्लंघन करने पर संस्था द्वारा निर्धारित दण्डों (Sanctions) के मापदण्डों की एवं एन.पी.ओ.पी. अनुरूप जैविक प्रमाणीकरण प्रणाली की जानकारी (मार्गदर्शिका) सहित सहलेन (Annexed) होता है।
- एन.पी.ओ.पी. अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक मानकों (एन.एस.ओ.पी.) की सरलीकृत जानकारी (राष्ट्रीय जैविक मानक)।

टीप -संस्था गे आवेदन करने हेतु जून-2014 से हनफो-यैक की उपयोक्त जानकारी संस्था की वेबसाईट
www.mpsoca.org से भी डाउनलोड की जा सकती है।

3. जैविक प्रमाणीकरण बावत आवेदन (Application)-

प्रचालक (ऑपरेटर) निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरकर संस्था में जमा करता है जिसमें मुख्यतः-

- i- आवेदन पत्र में वांछित समस्त जानकारी जैसे नाम, पता, संपर्क करने वाले व्यक्ति का टेलीफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर इत्यादि,
- ii- जैविक प्रबंधन/सिस्टम प्लान में चाही गई समस्त जानकारी (स्पष्ट रूप से भरी हुई),
- iii- जैविक क्षेत्र (साइट) का नक्शा (फसल उत्पादन के प्रकरण में), जिसमें निम्नांकित जानकारी स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो -
 - नक्शे के ऊपर बारी ओर उत्तर दिशा (N) का संकेत।
 - जैविक खेतों का अजैविक खेतों (यदि है तो) के साथ अलग-अलग रंगों से चिन्हांकन।
 - जैविक क्षेत्र को अजैविक क्षेत्र (यदि है तो) से अलग करती हुई सीमा (बफर जोन्स का निर्धारण)। इस बावत यदि कोई बंधान, रास्ता आदि जो बफर जोन्स का कार्य करता हो, तो वह भी दर्शायें।
 - खेतों में पानी के बहाव की दिशा। (अजैविक क्षेत्र से जैविक क्षेत्र की ओर एवं जैविक क्षेत्र से अजैविक क्षेत्र की ओर बहने वाले पानी की दिशा)
 - कार्यालय भवन, अण्डारण, गौशाला आदि का चिन्हांकन।
 - अब्य कोई जानकारी जो राष्ट्रीय मानकों के पालन की सुनिश्चिता की पुष्टि करती हो।
- iv- कोटेशन अनुसार निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण शुल्क डिमांड ड्राफ्ट (प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के नाम से) के रूप में देय होगा।

4. आवेदन पत्र की जाँच/समीक्षा (Reviewing)-

- i- प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच करते हुए यह देखा जायेगा कि समस्त वांछित जानकारी ऑपरेटर के हस्ताक्षर सहित पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरी है अथवा नहीं। यदि जानकारी में कोई कमी/त्रुटि पाई जाती है तो ऑपरेटर को सूचित करते हुए उसे यथानुसार पूर्ण कराया जायेगा।
- ii- बिना शुल्क के प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- iii- आवेदन पत्र की समीक्षा करने के उपरांत यह निर्णय लिया जायेगा कि आवेदन को स्वीकार अथवा निरस्त किया जाना है।
- iv- निरस्त किये गये आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने के कारणों को दर्शाते हुये शुल्क (शुल्क नीति के मापदण्डों अनुसार) सहित वापिस कर दिया जायेगा।
- v- ऑपरेटर कभी भी अपने आवेदन को वापस (Withdraw) ले सकता है। ऐसी स्थिति में उसे संस्था की शुल्क नीति के मापदण्डों अनुसार शुल्क वापस किया जा सकेगा।
- vi- उचित पाये गये आवेदन को पंजीकृत करते हुए उसे एक पंजीयन क्रमांक आवंटित किया जायेगा एवं साथ ही ऑपरेटर को इसकी सूचना उसके द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध की एक प्रति संस्था के समक्ष अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर उपरांत भेज दी जायेगी।

5. ऑन-साइट निरीक्षण का निर्धारण (Scheduling)-

- i- पंजीयन पश्चात पहला निरीक्षण कम से कम इतनी अवधि पश्चात निर्धारित किया जायेगा जितनी अवधि में ऑपरेटर जैविक मानकों का पालन या पालन किये जा सकने की क्षमता को दर्शा सके।

म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल

किन्तु उक्त निरीक्षण आवेदन के सही पाये जाने पर समीक्षा की तिथि/पंजीयन तिथि से 3 माह के भीतर संपन्न कर लिया जायेगा।

- ii- जहाँ तक संभव हो, निरीक्षण के समय का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि फसलों की महत्वपूर्ण अवस्थाओं में या/और स्थानीय परिस्थितियों अनुसार जोखिमों का आंकलन किया जा सके।
- iii- निरीक्षण की संभावित अवधि एवं निर्धारित तिथि के बारे में ऑपरेटर से चर्चा उपरांत उसे अग्रिम तौर पर अवगत करा दिया जायेगा ताकि वह निरीक्षण बावत तैयार रहे। निरीक्षण की समस्त अवधि में ऑपरेटर को स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी प्रतिनिधि, जिसे क्षेत्र का एवं जैविक कार्यक्रम मानकों संबंधी संपूर्ण ज्ञान हो, को उपस्थित रहना होगा। हांलाकि अद्योषित निरीक्षण*/निगरानी दौरों बावत उक्त शर्त लागू नहीं होगी।

6. निरीक्षण के दौरान सत्यापन (Verification)-

- i- निरीक्षण के दौरान निरीक्षक ऑपरेटर द्वारा मानकों का पालन या उसके द्वारा पालन किये जाने की क्षमता का सत्यापन प्रमाणीकरण स्कोर (फसल उत्पादन, इनपुट एपूवल, प्रोसेसिंग जंगली उत्पाद प्रमाणीकरण) बावत् निर्धारित वैकल्पिक के आधार पर सुनिश्चित करेगा।
- ii- निरीक्षण के दौरान वह ऑपरेटर द्वारा आवेदन प्रपत्र एवं जैविक प्रबंधन प्लान/सिस्टम में दर्शाई गई जानकारी को [फ़िल्ड/साईट/प्रसंस्करण](#) इकाई के अनुसार होना या न होना सुनिश्चित करते हुये जैविक मानकों का प्रायोगिक अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा।
- iii- निरीक्षक ऑपरेटर द्वारा निषिद्ध आदानों/सामग्री का प्रयोग किया जाना/ न किया जाना सुनिश्चित करेगा एवं संशय की दिखति में फसल उत्पादन के प्रकरण में मिट्टी, पानी, बीज, पौध एवं अंतिम रूप से प्राप्त उत्पाद (End Product) में से एवं प्रसंस्करण इकाई के प्रकरण में यॉ-मटेरियल (अवयव), इनपुट एवं अंतिम रूप से प्रसंस्करण उत्पाद (End Product) में से आवश्यकतानुसार नमूना ऑपरेटर की उपस्थिति में निर्धारित पक्कियानुसार एकत्रित करेगा। उक्त नमूना तीन प्रतियों में लिया जा कर सील किया जायेगा एवं जिसकी एक प्रति ऑपरेटर के पास, दूसरी प्रति संस्था में तथा तीसरी प्रति NABL प्राधिकृत (Accredited) ISO-17025 मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जाँच बावत भेजी जायेगी, जिस पर होने वाला व्यय ऑपरेटर द्वारा वहन किया जायेगा।
- iv- निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक ऑपरेटर का एवं संबंधित उन सभी व्यक्तियों, जिनको वह आवश्यक समझता है, का साक्षात्कार लेगा ताकि एकत्रित की हुई जानकारी की सूक्ष्मता (Accuracy) आँकी जा सके। इसी प्रकार निरीक्षक समस्त आवश्यक संसाधनों का भ्रमण करके आवश्यक जानकारी एकत्रित करेगा। साक्ष्य के तौर पर गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों के बयान, फोटोग्राफ्स इत्यादि भी यथानुसार एकत्रित करेगा।
- v- निरीक्षण संपन्न हो जाने के पश्चात निरीक्षक गैर-अनुपालन** प्रतिवेदन (Non-Compliance Report) संक्षिप्त निरीक्षण रिपोर्ट सहित हो प्रतियों में तैयार करेगा, जिस पर स्वयं हस्ताक्षर करते हुये ऑपरेटर के हस्ताक्षर भी लेगा। इस रिपोर्ट में निरीक्षण के दौरान पाई गई प्रत्येक गैर-अनुपालन (Non-Compliance) के सुधार बावत आवश्यक समय (तिथि) की जानकारी भी ऑपरेटर के बताये अनुसार दर्शाई जाती है एवं इसकी एक प्रति ऑपरेटर को सौंपी जाती है।

7. निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा (Review)-

निरीक्षण में पाये गये तथ्यों के आधार पर निरीक्षक द्वारा विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा जिसका आकलन/समीक्षा (Review) ऑपरेटर से प्राप्त गैर-अनुपालन प्रतिवेदन के सत्यापन पश्चात समीक्षा समिति (Review Committee) द्वारा की जायेगी।

8. निर्णय (Decision)-

निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा इस बावत गठित समिति (Review Committee) द्वारा की जाकर उसकी अनुशंसा पर यथानुसार निर्णय (सामान्यतः आगामी निरीक्षण, C-1/ C-2*** जारी किये जाने एवं प्रमाणीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से संबंधित) प्रमाणीकरण समिति (Certification Committee) द्वारा लिये जा सकेंगे। इसी प्रकार समीक्षा उपरांत दण्ड निर्धारण इत्यादि बावत निर्णय भी समीक्षा समिति (Review Committee) की अनुशंसा पर प्रमाणीकरण समिति द्वारा लिये जा सकेंगे।

9. प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना (Granting)-

म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था ऑपरेटर द्वारा सफलतापूर्वक रूपांतरण अवधि पूर्ण होने पर उसे स्कोर सटीकिकेट अथवा सटीकिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी करेगी। यही प्रमाण-पत्र मोटे तौर पर जैविक प्रमाण-पत्र

* ऑपरेटर को बिना बतलाये कभी भी किये जाने वाले निरीक्षण।

** ऑपरेटर द्वारा NPOP विनियमन/मानकों एवं संस्था द्वारा जारी दिया गिरदशों के अनुपालन का उल्लंघन।

*** ऑपरेटर द्वारा सफलतापूर्वक NPOP विनियमन में निर्दिष्ट निर्दशों एवं राष्ट्रीय जैविक मानकों का पालन सुनिश्चित होने पर उसे पहले एवं दूसरे वर्ष कमश्व: C-1 एवं C-2 दिखति (Status) संस्था द्वारा प्रदाय किया जाता है।

म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, ओपाल



कहलाता है। यह प्रमाण-पत्र जारी किये गये दिनांक से एक वर्ष (12 माह) तक की अवधि बावत वैध माना जायेगा। संस्था उचित ऑपरेटरों को उनकी मांग पर ट्रानजेक्शन सर्टिफिकेट (Transanction Certificate) एवं उत्पाद प्रमाणपत्र (Product Certificate) भी प्रदान कर सकती। सामान्यतः ऑपरेटर उक्त दोनों प्रमाण-पत्रों की मांग व्यवसाय बावत संस्था से करता है।

10. प्रमाण-पत्र का जारी न किया जाना (Denial)-

- संस्था द्वारा यदि किसी ऑपरेटर को प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने बावत निर्णय लिया जाता है तो ऑपरेटर को प्रमाण-पत्र जारी न किये जा सकने के कारणों को इन्हें दूर करने बावत निर्धारित समय सीमा दृष्टि हुये नोटिफिकेशन (सूचना) भेजा जायेगा।
- समय सीमा में ऑपरेटर से नोटिफिकेशन का उत्तर प्राप्त होने/न होने की दशा में संस्था की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

11. प्रमाणीकरण की नियंत्रण (Continuation)-

चूँकि प्रमाणीकरण, प्रमाण-पत्र जारी किये गये दिनांक से 1 वर्ष (12 माह) तक के लिए वैध होता है, अतः प्रमाणीकरण को नियंत्रण करने हेतु ऑपरेटर को इसकी अंतिम तिथि के पूर्व ही निर्धारित प्रपत्र (जैविक प्रबंधन प्लान/सिस्टम सहित) भरकर निर्धारित ग्रुप्ल के साथ संस्था में जमा करना होता है।

12. अपील एवं शिकायत (Appeal and Complaints)

संस्था में पंजीकृत ऑपरेटर संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने बावत मना (Deniel) करने की अथवा संस्था द्वारा निर्धारित दण्ड से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में वह इस आशय की सूचना (नोटिफिकेशन) संस्था से प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर संस्था के अध्यक्ष (कृषि उत्पादन आयुक्त) को अपील कर सकता है। अपील का निर्णय ऑपरेटर को निर्धारित समयावधि में अवगत करा दिया जायेगा।

यदि ऑपरेटर अपील के इस निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता है, तो वह दोबारा संस्था के संचालक मण्डल को निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर पुनः अपील कर सकता है। यह निर्णय अंतिम होगा एवं इसके पश्चात ऑपरेटर किसी प्रकार की अपील नहीं कर सकेगा।

13. समूह प्रमाणीकरण मानक (Standards)-

अधिकांश लघु सीमान्त एवं मध्यम कृषक जिनकी जोत सीमा 4.00 हेक्टेयर से कम हैं एवं जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने के कारण अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, को जैविक प्रमाणीकरण उनकी पहुँच में लाते हुये वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समूह प्रमाणीकरण किया जाता है। इसमें समूह का कुल प्रमाणीकरण ग्रुप्ल समूह के सदस्यों के मध्य क्षेत्रफल के आधार पर अनुपातिक तौर पर विभाजित हो जाता है। यह सहकारिता, उत्पादक समूह, ठेके पर उत्पादन करने वालों एवं लघु प्रसंस्करण इकाईयों के प्रकरणों में भी लागू होगा।

i- समूह के गठन बावत सामान्य आवश्यकतायें :

- समूह प्रमाणीकरण की सफलता बावत, समूह में शामिल सदस्य एक समान उत्पादन लेने वाले, औगोलिक रूप से सभी के क्षेत्र एक चक्र में आने वाले एवं लगभग समान विचार धारा अपनाने वाले होना चाहिए। समूह में कम से कम 25 एवं अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं।
- समूह में ऐसे सदस्य, जिनकी जोत सीमा 4.00 हैं, से अधिक हैं, भी इस शर्त के साथ शामिल किये जा सकते हैं, कि ऐसे सदस्यों का कुल क्षेत्रफल पूरे समूह के क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। ऐसे कृषकों का विर 4 निरीक्षण (एन.पी.ओ.पी. अनुरूप) वर्ष में कम से कम एकबार संस्था द्वारा अलग से अनिवार्य तौर पर किया जायेगा।

ii- समूह का गठन :

- समूह का वैधानिक स्टेटस (Legal Status) या संरचनात्मक ढाँचा होना चाहिए।
- समूह को दस्तावेजीकृत (Documented) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS****) संधारित करना होगा।
- समूह को एक एकल इकाई (Single Entity) के रूप में माना जायेगा।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) के सफल संचालन बावत उसके सदस्यों जैसे- प्रोजेक्ट कार्डिनेटर/प्रबंधक, आंतरिक निरीक्षक इत्यादि को यथानुसार दस्तावेजीकृत जिम्मेवारियाँ सौंपी जायेंगी।

म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल



- ICS को एक मैन्युअल तैयार करना होगा जिसे “आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली” (System) मैन्युअल कहते हैं। इस मैन्युअल में मुख्यतः ICS को लागू करने एवं संभावित जोखिमों के आकलन का ब्यौदा होता है।
- ICS को NSOP के अनुरूप स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्रीय भाषा में जैविक आंतरिक मानक तैयार करने होंगे।
- इन आंतरिक मानकों में मुख्यतः उत्पादन इकाई की परिभाषा, संपूर्ण उत्पादन बावत मानक, रूपान्तरण अवधि, समान तरह के उत्पादन लिए जाने की स्थिति में अपनाये जाने वाले उपाय एवं दण्ड प्रावधान इत्यादि के बारे में उल्लेख होता है।
- इसी प्रकार ICS को समूह के उत्पादन के खरीद-फोरेख, व्यवसाय एवं प्रसंस्करण की विधियों को भी तय करना होता है।

iii- कार्यप्रणाली (समूह प्रमाणीकरण का तरीका):

- ICS के आंतरिक नियीक्षक समूह के सभी सदस्यों के उत्पादन का नियीक्षण संपादित करके उनकी अलग-अलग नियीक्षण रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिनकी समीक्षा करने के पश्चात ICS का मुखिया (Co-ordinator) संस्था को नियीक्षण करने बावत सूचना देगा।
- संस्था आंतरिक नियीक्षकों द्वारा किये गये नियीक्षणों में से संस्था नीति अनुसार कुछ सदस्यों के उत्पादन का नियीक्षण करेंगी, एवं उनमें पाये गये तथ्यों की तुलना आंतरिक नियीक्षकों द्वारा किये गये नियीक्षणों की रिपोर्ट से करेंगी। तदनुसार निर्णय की कार्यवाही संस्था की प्रमाणीकरण समिति द्वारा की जायेगी। दर अलाल, समूह प्रमाणीकरण के प्रकरण में संस्था मोटे तौर पर आकलन करती है कि ICS किस तरह कार्य कर रहा है।

----- : -----